भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †553

सोमवार, 24 जुलाई, 2023/2 श्रावण, 1945 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

धरोहर गोद लो योजना में कारपोरेट की भागीदारी

†553. डॉ. शशि थरूर:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार की 'धरोहर गोद लो योजना' में कॉरपोरेट की भागीदारी का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार ने इस योजना के साथ निजी कंपनियों की और अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि विरासत को गोद लेने की योजना के अंतर्गत स्मारकों का स्वामित्व रखने वाली निजी कंपनियों द्वारा उच्च गुणवत्ता परक मानकों को बरकरार रखा जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के पास पुरातात्विक उत्खनन की संभावना वाले स्मारक स्थलों के संरक्षण के लिए सुरक्षोपाय हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने उन स्मारकों का उच्च स्तरीय रख-रखाव सुनिश्चित किया है जिन्हें 'स्मारक मित्रों' द्वारा नहीं अपनाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ड़): पर्यटन मंत्रालय ने पूरे भारत में फैले विरासत/प्राकृतिक/पर्यटक स्थलों को पर्यटक अनुकूल बनाने के लिए इन स्थलों पर योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से पर्यटन संबंधी सुविधाओं के विकास हेतु 'एक धरोहर अपनाएं: अपनी धरोहर, अपनी पहचान' परियोजना आरंभ की । इस परियोजना के अंतर्गत पूरे भारत के सत्ताइस (27) स्थलों और दो (2) तकनीकी

हस्तक्षेपों के लिए 15 स्मारक मित्रों के साथ 29 समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए गए हैं । पर्यटन मंत्रालय ने जुलाई, 2022 में संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को 23 समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्तांतरित किए जो एएसआई स्मारकों से संबंधित थे और शेष 6 एमओयू पर्यटन मंत्रालय के पास हैं जिनका ब्यौरा अनुबंध-I पर दिया गया है । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूचित किया है कि विभिन्न केंद्रीय संरक्षित स्मारकों पर 04 एमओयू के तहत कारपोरेट हितधारकों के साथ भागीदारी की गई है/जारी है जिनका विवरण अनुबंध-II पर दिया गया है ।

पर्यटन मंत्रालय इस परियोजना के तहत पर्यटक स्थलों पर स्मारकों को अपनाने में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और स्मारक मित्रों के साथ सहयोग कर रहा है । स्मारक मित्रों द्वारा अपनाए गए पर्यटक स्थलों पर पर्यटक संबंधी सुविधाओं के विकास में गुणवत्ता और मानक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परियोजना दिशानिर्देशों में स्मारक मित्रों के चयन और शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक प्रबंधन संरचना, प्रस्तावों को अनुमोदित करने, परियोजनाओं की नियमित अंतराल के बाद निगरानी करने और कार्यान्वयन में सुधार सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है । इसके अतिरिक्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूचित किया है कि केवल केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के लिए संस्कृति मंत्रालय/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के परिवर्तित संस्करण 'एक विरासत अपनाएं कार्यक्रम 2.0' की परिकल्पना की गई है जिसमें उपयुक्तता और वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निजी/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ सहयोग हेतु एक रूपरेखा तैयार करने के लिए सुविधाओं का विस्तृत विश्लेषण किया गया है । 'एक विरासत अपनाएं कार्यक्रम 2.0' के तहत अद्यतन प्रौद्योगिकी और बेहतर समाधान शामिल कर उत्तम कार्यपद्धति का अनुसरण करते हुए स्मारक मित्रों की भूमिका को केंद्रीय संरक्षित स्मारकों का विकास करने और सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उनके अनुरक्षण तक सीमित कर दिया गया है और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यक्रम के तहत एक मानिटरिंग तंत्र नियत किया गया है ।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1958 और इसी आधार पर बनाए गए नियम 1959 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों और स्थलों का रख-रखाव किया जाता है । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारकों (सीपीएमएस) पर फोकस करता है तथा पुरातात्विक संरक्षण के रूप में इनका नियमित अनुरक्षण करता है और आवश्यकतानुसार सुविधाओं का संरक्षण एवं उनकी व्यवस्था करता है ।

*****

अनुबंध ।

धरोहर गोद लो योजना में कारपोरेट की भागीदारी के संबंध में दिनांक 24.07.2023 के लोक सभा लिखित प्रश्न सं. †553 के भाग (क) से (ड़) के उत्तर में विवरण

स्मारक मित्रों से किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) की सूची

क्र. सं.	पर्यटक स्थल का नाम	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	स्मारक मित्र
1	गंगोत्री मंदिर क्षेत्र और गोमुख तक का मार्ग	उत्तराखंड	एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एटीओएआई)
2	गोलगुंबद	दिल्ली	रेसबर्ड टेक्नोलॉजी प्रा. लि.
3	बारा लाओ का गुंबद	दिल्ली	बर्ड हेरिटेज फाउंडेशन
4	4 प्रतिष्ठित स्थलों के लिए बहुभाषी ऑडियो गाइड का विकास	i. आमेर किला, राजस्थान ii. महाबोधी मंदिर, बिहार iii.चांदनी चौक, दिल्ली iv.सोमनाथ, गुजरात	रेसबर्ड टेक्नोलॉजी प्रा. लि.
5	दारा शिकोह पुस्तकालय	दिल्ली	द आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ट्रस्ट (टीएएसीएचटी) और म्यूजियम एंड आर्ट्स कंसल्टेंसी (एमएसी)
6	नारायणकोटी मंदिर	उत्तराखंड	सोशल-लीगल रीसर्च एंड एजुकेशन (एसएलआरई) फाउंडेशन

*****

अनुबंध ।।

धरोहर गोद लो योजना में कारपोरेट की भागीदारी के संबंध में दिनांक 24.07.2023 के लोक सभा लिखित प्रश्न सं. †553 के भाग (क) से (ड़) के उत्तर में विवरण

केंद्रीय संरक्षित स्मारकों का विवरण जिनमें 'एक विरासत अपनाएं' योजना के तहत समझौता ज्ञापन के अनुसार सहयोग जारी है

क्र. सं.	स्थल का नाम	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	एजेंसी का नाम
1	8 सीपीएमएस के लिए बहुभाषी ऑडियो गाइड का विकास i. धोलावीरा, गुजरात ii. हुमायूं का मकबरा, दिल्ली iii. लाल किला, दिल्ली iv. पुराना किला, दिल्ली v. फतेहपुर सीकरी, आगरा vi. ताज महल, आगरा vii. महाबलीपुरम, तमिलनाडु viii. खजुराहो, मध्य प्रदेश	----	रेसबर्ड टेक्नोलॉजी प्रा. लि. (अब ''बर्ड हेरिटेज फाउंडेशन'')
2	कुतुब मीनार	दिल्ली	यात्रा ऑनलाइन प्रा. लि.
3	जंतर मंतर	दिल्ली	पार्क होटेल्स (पी) लि.
4	लाल किला	दिल्ली	डालमिया भारत लि.

*****